न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी : श्री रामदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या : 408 / 2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 मेहरदीन पुत्र अब्दुला करीम जाति सिन्धी मुसलमान निवासी सोढाणी मुसलमानों की ढाणी, बान्दरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर		1 कुण्डा पुत्र खीहरा जाति मुसलमान निवासी सोढाणी मुसलमान की ढाणी, तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर 2 तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 व 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1. श्री राजूराम कुमावत, वकील प्रार्थीगण।

आदेश

दिनांक 21/08/24

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त का मौजा सोढाणी मुसलमानों की ढाणी पटवार हल्का बान्दरा तहसील बाडमेर ग्रामीण के खेत खसरा संख्या 790 / 362 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। उक्त भूमि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 से जरिये पंजीबद्ध बेचान पत्र दिनांक 13.12.2021 के खरीद की गई थी जिस बेचान पत्र अनुसार पड़ौसान उत्तर दिशा में इसी खसरा में से 05.00 बीघा भूमि मुबारक खां को बेचान की गई भूमि, दक्षिण दिशा में अन्य खसरा की भूमि व ईशाक खान का खेत पूर्व में कवास जीरो पोईन्ट से एमपीटी रोड है तथा पश्चिम दिशा में तगाराम जाट का खेत आया हुआ है इसी अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थी को मौके पर काबिज पर भौतिक कब्जा सुपूर्द किया गया। प्रार्थी द्वारा खरीद के बाद खसरा संख्या 790 / 362 रकबा 0.8094 हैक्टयर सृजन करते हुए लठ्ठा ट्रेस में तरमीम गलत अंकित कर दी गई जबकि प्रार्थी का मौके पर परिशिष्ठ 'अ' में दर्शाये बरंग लाल स्थान पर है तथा उक्तानुसार ही प्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त है। वर्तमान में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 के बीच तरमीम मौके पर कब्जा काश्त अनुसार नही है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौके की जांच किये बिना तरमीम कर दी गई जो अशुद्ध तरमीम है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की वर्तमान राजस्व अभिलेख में अशुद्ध तरमीम के कारण विवाद उत्पन्न हो गया है मौके पर कब्जा काश्त अनुसार संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में दर्शाये लाल पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। भूमि की तरमीम मौके पर कब्जा काश्त अनुसार नहीं की जाकर राजस्व रेकर्ड में गलत कर दी गई है। अतः राजस्व अधिकारियों [illegible] द्वारा प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की वर्तमान तरमीम मौके [illegible] नहीं होने से प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 01 के मध्य तनाव की स्थिति बनी हुई है, लिहाजा [illegible] सोढाणी मुसलमानों की ढाणी पटवार हल्का बान्दरा तहसील बाडमेर ग्रामीण के खेत खसरा संख्या 790 / 362 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान तरमीम निरस्त करते हुए सलंग्न नक्शा अनुसार परिशिष्ठ "अ" के अनुसार दुरूस्त करवाने के आदेश फरमावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:21:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ईकतरफा।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा जमाबन्दी संवत् 2075–2078, नक्शा व पंजीबद्ध बेचान पत्र दिनांक 13.12.2021 का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी की वर्तमान तरमीम अशुद्ध है। प्रकट तथ्यों के मद्देनजर मौजा सोढाणी मुसलमानों की ढाणी पटवार हल्का बान्दरा तहसील बाडमेर ग्रामीण के खेत खसरा संख्या 790/362 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान तरमीम निरस्त की जाकर प्रार्थी की मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तथा पंजीबद्ध बेचान पत्र दिनांक 13.12.2021 के अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा सोढाणी मुसलमानों की ढाणी पटवार हल्का बान्दरा तहसील बाडमेर ग्रामीण के खेत खसरा संख्या 790/362 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान तरमीम निरस्त की जाकर प्रार्थी के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तथा पंजीबद्ध बेचान पत्र के संलग्न नक्शा की जांच कर राजस्व नक्शा में तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण तदनुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समदर सिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 21/08/24 को सरें ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:21:11 IST
Reason: SelfAttested